छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2008
(आषाढ़ - 20, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 एवं 08 से 13 (कुल 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री अमरजीत भगत अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 1 तारांकित प्रश्न एवं 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन 2005) की धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-7-16/2005/1/6, दिनांक 7 नवम्बर 2006,

(2) श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(3) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का तिरालिसवां वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2006-2007 (1 जुलाई, 2006 से 30 जून 2007), तथा

(4) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का -

(i) बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2004-05 (1 जुलाई, 2004 से 30 जून 2005)

(ii) तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2005-06 (1 जुलाई 2005 से 30 जून 2006) तथा

(iii) चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2006-07 (1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007)

पटल पर रखे ।

4. पृच्छा

बस्तर जिला की वेबसाईट में आदिवासियों की घोटुल संस्कृति को गलत तरीके से दर्शाया जाना

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने आसंदी का ध्यान एक सरकारी वेबसाईट की ओर आाकर्षित किया कि उसमें बस्तर के आदिवासियों की घोटुल संस्कृति तथा उनके रहन-सहन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर उनके दल द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उक्त वेबसाईट पूर्व के शासनकाल में निर्मित की गई थी, जिसकी जांच हेतु उन्होंने सचिव स्तर के अधिकारी को जांच हेतु बस्तर भेजा है तथा आपत्तिजनक अंशों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं ।

प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 28 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है । क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाऐं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में बस किराया में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा बालको-जिंदल से विद्युत खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम, रायपुर द्वारा मे. एग्रीकांस एग्रो प्रेनर्स लिमिटेड को रतनजोत पौध तैयार करने हेतु आदेश प्रदाय करने में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला-बिलासपुर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण में विलंब किये जाने तथा सड़क की जर्जर स्थिति की ओर राज्यमंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. सुभाऊ कश्यप , संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. बहिर्गमन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्र.4 में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि - निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(7)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(9)	श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य
(12)	श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य
(13)	श्री देवजी पटेल, सदस्य
(14)	श्री देवजी पटेल, सदस्य
(16)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(17)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(18)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(22)	श्री देवजी पटेल, सदस्य
(23)	श्री देवजी पटेल, सदस्य
(26)	श्री उदय मुदलियार, सदस्य
(27)	श्री उदय मुदलियार, सदस्य
(28)	श्री उदय मुदलियार, सदस्य

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई ।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, एवं नवम प्रतिवेदन,

(2) श्री चन्दूलाल साहू, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम एवं ग्यारहवां प्रतिवेदन,

(3) श्री त्रिलोचन पटेल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रतिवेदन,

(4) श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन,

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का 85 वां, 86 वां, 87 वां, 88 वां, 89 वां, 90 वां, 91 वां, 92 वां एवं 93 वां प्रतिवेदन,

(6) श्री प्रीतम साहू, सभापति ने आश्वासन समिति का दसवां प्रतिवेदन,

(7) श्री विनोद खाण्डेकर, सभापति ने सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन,

(8) श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन,

(9) श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन,

(10) श्री कमल भान सिंह, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का नवम प्रतिवेदन,

(11) श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) पंचम एवं षष्ठम प्रतिवेदन, तथा

(12) श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

प्रस्तुत किये ।

(1.35 बजे से 3.03 तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, अमरजीत भगत ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 8 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री रविन्द्र चौबे, इंदर चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रामदयाल उइके, नोवेल कुमार वर्मा ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 12 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

10. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने दिनांक 25 फरवरी, 2008 को गृह मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 879) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया । प्रश्न से उद्भूत विषय पर, वांछित जानकारी 10 दिवसों में विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध कराने की सदन की मांग पर माननीय मंत्री द्वारा सहमति दी गई ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री के इस कथन पर कि - उन्हें अनुपूरक कार्यसूची 1.30 बजे मिलने के कारण उन्हें सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

12. आसंदी से व्यवस्था

यदि कोई विषय वस्तु छूट जाती है तो उसकी यहां पर सप्लीमेंट्री कार्यसूची निकाली जाती है । चूंकि पिछले सत्र की समाप्ति पर कार्यसूची में सम्मिलित इस आधे घंटे की चर्चा समयाभाव के कारण नही ली गई थी तथा आसंदी के द्वारा यह बात कहीं गई थी कि अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा ली जाएगी और यह विषय वस्तु आज के दैनिक कार्यसूची में छूट गई थी । माननीय सदस्य द्वारा आज ध्यान दिलाए जाने पर अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई । इसलिए माननीय मंत्री अब अपनी जवाबदारी से बचने के लिए इस प्रकार की बात करें, उचित नहीं है । आपको विगत् 3 महीने का समय था, आप उसमें भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यह स्थिति उचित नहीं है ।

13. बहिर्गमन

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

14. अशासकीय संकल्प

(1) प्रदेश में कक्षा पहली से संस्कृत भाषा की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाना

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया ।

माननीय सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग की गई ।

संकल्प पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 13 और विपक्ष में 39 मत प्राप्त हुए ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में बार्डर रोड आर्गनाईजेशन (सैन्य संगठन) की ईकाई की स्थापना की जाना

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्थित हवाई अड्डा का नाम स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर किया जाना

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(4) केन्द्र शासन द्वारा छत्तीसगढ़ को आवंटित ए.पी.एल के चावल का कोटा पूर्वानूसार 64000 मीट्रिक टन किया जाना

श्री संजय ढीढी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

15. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री धमेन्द्र प्रधान, सांसद अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित होने व उनके स्वागत संबंधी उल्लेख किया ।

16. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज ।

श्री सत्यानंद राठिया, राज्यमंत्री, खाद्य ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(5) श्री निर्मल सिन्हा (अनुपस्थित)

17. नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 167 के अंतर्गत मेरे समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है :-

1. माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री राजकमल सिंघानिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 13 मई, 2008

2. माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री राजकमल सिंघानिया द्वारा श्री अनिल सोनी वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकर भंग की सूचना दिनांक 13 मई 2008

18. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री राजकमल सिंघानिया द्वारा, सदस्य की श्री अनिल सोनी, वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकर भंग की सूचना दिनांक 6 जून 2008, मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

19. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

द्वितीय विधान सभा के पन्द्रहवॉ सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, जो कि इस विधान सभा के लिये अंतिम सत्र भी है । यह मानसून सत्र 7 जुलाई, 2008 से 11 जुलाई, 2008 तक आहूत रहा । इस सत्र के निर्विघ्न सम्पन्न होने पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ । जैसा कि आपको विदित है, द्वितीय विधान सभा का गठन दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को हुआ था और इसका प्रथम सत्र दिनांक 22 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2003 की अवधि में हुआ । प्रथम सत्र के पश्चात् वर्तमान में द्वितीय विधान सभा का पन्द्रहवॉ सत्र चल रहा है और यह अवसर है जब हम इस बात पर विचार करें कि हम जिस संकल्प और उद्देश्य से हमने जिस मार्ग पर यात्रा आरंभ की थी, हम उसकी पूर्ति में कहॉ तक पहुॅचे? यह अवसर अनेक भावनात्मक अनुभूतियों को लेकर भी है, क्योंकि द्वितीय विधान सभा का यह अंतिम सत्र है और आगामी सत्र अब आम निर्वाचन के पश्चात् होगा, जो इस छत्तीसगढ़ राज्य की तृतीय विधान सभा का प्रथम सत्र होगा ।

मुझे इस अवसर पर यह कहते हुये अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि द्वितीय विधान सभा के इस कार्यकाल में सभा के सदस्यों ने संसदीय संस्कृति एवं लोकतंत्र के उच्चतम मापदण्डों के अनुरूप अपने कार्य एवं व्यवहार से छत्तीसगढ़ विधान सभा का नाम देश में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने ऐसे अनेक कार्यों को सम्पादित किया और परम्परायें स्थापित कीं, जिनके कारण छत्तीसगढ़ राज्य की इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था का जब भी इतिहास लिखा जायेगा, मैं यह कह सकता हूँ कि इस कार्यकाल की स्मृतियॉ स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेंगी ।

छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या 44 हैं, वहीं इस विधान सभा में 3 ऐसे भी सदस्य हैं, जो छः बार निर्वाचित हुये हैं, पॉच बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी

3 है, चार बार निर्वाचित सदस्य 5, तीन बार निर्वाचित सदस्य 11 और दो बार निर्वाचित सदस्य 23 है । इस प्रकार इस विधान सभा में परिपक्व एवं अनुभवी सदस्यों के साथ प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत है । नव निर्वाचित सदस्यों की इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद इन सदस्यों ने जिस संसदीय परिपक्वता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपनी उपस्थिति एवं कार्यों से अपनी पहचान स्थापित की । इस हेतु मैं इन सभी को बधाई देता हूॅं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूॅं ।

मैं आज इस अवसर पर द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहॉं उल्लेख करना चाहता हूॅं । छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों को दिनांक 28 जनवरी, 2004 को सम्बोधित किया और उसके पश्चात् अन्य अनेक राज्यों में भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति का सम्बोधन हुआ ।

संसदीय प्रक्रियाओं पर विचार के लिये प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों में होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों का सम्मेलन भी आयोजित करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ विधान सभा को प्राप्त हुआ और वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ विधान सभा ने इस प्रतिष्ठापूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर लोक सभा अध्यक्ष सहित अनेक राज्यों के अध्यक्षों के ह्रदय में छत्तीसगढ़ राज्य एवं इसकी विधान सभा की प्रतिष्ठापूर्ण छवि स्थापित हुई ।

विधान सभा ने सूचना क्रांति के इस युग में अपनी समस्त जानकारियों को पूरे देश एवं वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिये अपनी वेबसाईट का निर्माण यहीं पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा करवाकर जन–जन को उपलब्ध करायी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वेबसाईट को निरंतर प्रति दिन अद्यतन किया जाना भी सुनिश्चित किया । शनैः–शनैः वेबसाईट को परिमार्जित करते हुये सभा एवं उसकी समितियों की बैठकों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियॉं भी इस वेबसाईट पर दी जाने लगी। फलस्वरूप अब प्रति दिन की कार्यवाही, प्रदेश के सभा में लिये जाने वाले तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर, प्रति दिन सभा में क्या कार्यवाही सम्पादित हुई, उसका संक्षेप, सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली, प्रदेश के विधायकों एवं सांसदों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी सहित ऐसी अनेक जानकारियॉं छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में लोड़ की गयी, जिसके कारण इस नवगठित राज्य की विधान सभा को और इसमें होने वाली कार्यवाही सभी को सुलभ रूप से प्राप्त हो सकें ।

माननीय सदस्यों को उपरोक्त समस्त जानकारियॉं निरंतर प्राप्त होती रहें, सूचना क्रांति के इस युग में वे सूचनाओं से वंचित न हों, इस उद्‍देश्य से प्रत्येक माननीय सदस्य को विधान सभा सचिवालय द्वारा लेपटाप भी प्रदान किये गये ताकि उन्हें न केवल इस सभा, इसके सत्र एवं समितियों की जानकारी प्राप्त हो, अपितु वे इसका उपयोग अपने संसदीय कौशल एवं कार्यों को और परिमार्जित कर सकें ।

विधान सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च्व पंचायत है । यहॉं जन प्रतिनिधि किस प्रकार से लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किन–किन विषयों को उठाया जा रहा है ? मेरा ऐसा मानना है कि ये सब आम जनता को जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर यहॉं भेजा है, को ज्ञात

होना चाहिये, इस दृष्टिकोण से विधान सभा के प्रश्नकाल की रिकार्डेड कार्यवाही प्रति दिन दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करना भी वर्ष 2005 से आरंभ किया गया । यह वस्तुतः एक प्रकार से दर्शक दीर्घा का जन–जन तक विस्तार है । यह विधान सभा आम जनता की है, इस बात को प्रचारित–प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदेश की युवा पीढ़ी यहॉं होने वाले कार्यों से भिज्ञ हो सकें, संसदीय ज्ञान के प्रति उनकी अभिरूचि हो, इसको विचार में लेते हुये प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आमंत्रित कर विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिये प्रोत्साहित किया गया ।

मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रदेश कि युवा पीढ़ी उनकी सर्वोच्च पंचायत के बारे में नहीं जानेंगे तो संसदीय प्रजातंत्र अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकता।

संविधान के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी जन–प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिये इस सर्वोच्च पंचायत के कार्य एवं प्रक्रिया से अवगत कराने के लिये पूरे प्रदेश के इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर विधान सभा की कार्यवाही दिखायी गई । विशेष अवसर जैसे 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को इस विधान सभा को आम नागरिकों के लिये खोल दिया जाता है ताकि वे अपनी इस पंचायत को नजदीक से देख सकें, **अर्थात इस द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में इस विधान सभा ने यह प्रयास किया कि इस सभा के बारे में इस प्रदेश की 2 करोड़ 5 लाख जनता जान सके और उनके मन में इसकी गरिमामय छवि स्थापित हो ।**

सभा के सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से अवगत कराने के उद्देश्य से माननीय सदस्यों के लिये प्रबोधन कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन किया गया ताकि माननीय सदस्य सभा में अपना कार्य एवं व्यवहार उच्च संसदीय मापदण्डों एवं परम्पराओं अनुसार कर सकें ।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के लिये इस भवन को चयनित किया गया था । इस भवन में समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सभा भवन सहित, समिति कक्षों के कार्य के अनुरूप स्वरूप देकर उन्हें सुसज्जित किया गया ताकि सभा एवं समितियों का कार्य माननीय सदस्य सुविधाजनक रूप में सम्पादित करें । इसके अतिरिक्त इस परिसर में आडिटोरियम का निर्माण भी किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के उप राश्ट्रपति के करकमलों से हुआ ।

इस वर्ष माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों, पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों के विचार–विमर्श के केन्द्र के रूप में संसद के अनुरूप सेन्ट्रल हॉल की तर्ज पर एक भवन, प्रदेश में ज्ञान के भण्डार का सबसे बड़ा केन्द्र बनाने के उद्देश्य से एक पृथक पुस्तकालय भवन और खेलों के प्रति माननीय सदस्यों की जागृति में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से एक खेल प्रशाल का प्रावधान भी बजट में किया जाकर उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 5 जून, 2008 को सम्पन्न हुआ । माननीय सदस्यों को फिजिकली फिट रखने के उद्देश्य से एक जिम की स्थापना भी विधान सभा में वर्श 2006 से की गई । मेरे विधान सभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की कार्य क्षमता में अभिवृद्धि के लिये आवश्यक था कि उनके निवास की व्यवस्था सचिवालय के समीप ही हो, इस उद्देश्य से लगभग 60 आवास भी विधान सभा के समीप ही निर्मित किये गये ।

इस प्रकार इस द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में यह प्रयास किया गया कि यह विधान सभा सभी साधनों से युक्त हों, ताकि माननीय सदस्य अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें ।

मैं इस अवसर पर उपरोक्त समस्त कार्यों के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ ।

सभा में सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार कैसा हो ? संसदीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु विगत 10 वर्ष में संसद द्वारा एकाधिक सम्मेलन एवं कार्यशालायें आयोजित की गई और संसदीय संस्कृति के ह्रास के ऊपर इन सम्मेलनों में चिंतायें भी व्यक्त की गईं । सभा की कम होती बैठकों के संबंध में भी पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में विचार–विमर्श हुआ किन्तु मुझे आज कहते हुये गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा के माननीय सदस्यों ने संसदीय संस्कृति एवं परम्पराओं का पालन जिस इच्छा शक्ति एवं कौशल से किया, आज के समय में ऐसे उदाहरण विरले ही प्राप्त होते हैं ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा पहली विधान सभा है, जिसमें पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वे सभा के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे और यदि विरले अवसरों पर ऐसा हुआ भी तो उन्होंने अपने पर स्वनियंत्रण के उद्देश्य से नियमों में यह भी प्रावधान किया कि गर्भगृह में आने वाले सदस्य स्वमेव निलम्बित हो जायेंगे ।

ऐसे प्रावधान संसद एवं कुछ अन्य विधान सभाओं में किये गये हैं किन्तु मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा में नियमों का पालन हुबहु स्वरूप में होता है, यही कारण है कि सभा के गर्भगृह में आने की घटनायें नगण्य हैं और हमने सभा की कार्यवाही में अवरोध की संभावनाओं को मिलजुलकर समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली है ।

छत्तीसगढ़ की विधान सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष का लोक कल्याण के कार्यों में समन्वय भी उल्लेखनीय है । मैं केवल एक–दो अवसरों का ही उल्लेख करना चाहूँगा । नक्सली समस्या पर एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सभा में चर्चा हुई तो चर्चा के अंत में पक्ष एवं प्रतिपक्ष ने इस समस्या को जड़–मूल से समाप्त करने का संकल्प पारित किया । स्थगन प्रस्ताव का समापन पक्ष एवं प्रतिपक्ष समन्वय से ऐसा करें, मैं समझता हूँ कि एक बिरली–सी घटना है ।

नक्सलवाद की ही समस्या पर इस सभा ने नियमों के अंतर्गत बंद दरवाजे में चर्चा कर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के गंभीर विषय पर गहराई से विचार–मंथन किया और सुझाव दिये । सभा में ऐसे अवसर तो अनेक बार आयें, जब समस्त दलीय परिस्थिति एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विगत कार्यों को सत्तापक्ष और प्राथमिकता देने की बात कहते हुये मंत्रियों की सराहना की । इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के शैशवकाल में ही संसदीय परम्पराओं की जड़े बहुत गहरी पैठ कर गई है ।

द्वितीय विधान सभा में संसदीय समितियों की भी अहम् भूमिका रही है । संविधान एवं उसके अंतर्गत बनाये गये अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत सभा एवं समितियों की यह जिम्मेदारी है कि वे कार्यपालिका

की जवाबदेही सुनिश्चित करें । विधायिका जो राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करती है । सीधे एवं समितियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि उसने जो नीतियॉ एवं कार्यक्रम तय किये हैं अथवा लोक हित के विभिन्न कार्यों हेतु जो राशि कार्यपालिका को उपलब्ध करायी हैं, उस पर समुचित पालन हो रहा है अथवा नहीं ? उसका समुचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ?

द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में सभा एवं इसकी समितियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया है । वस्तुतः कार्यपालिका एवं विधान मण्डल के आपसी रिश्ते एक–दूसरे के पूरक है । जहॉ विधायिका के प्रति कार्यपालिका को जवाबदेह होना होता है, वहीं विधायिका भी कार्यपालिका के दैंनदिन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हुये यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका, विधायिका द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप ही अपना कार्यकरण संचालित करें । इन सबने समितियों के माध्यम से कार्यपालिका का निरंतर परीक्षण कर लोक कल्याण के कार्यों को नीतियों के अंतर्गत संचालित करने में अपरोक्ष नियंत्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अनेक अवसरों पर सभा ने सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता एवं सभा की सहमति से सभा की समितियों का गठन भी किया गया एवं इन सभा की समितियों ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ में करके अपने कर्तव्यों को निभाया ।

मैं इस अवसर पर सभा की समितियों के सभापति सहित समस्त सदस्यों को भी बधाई देता हूँ कि न केवल उन्होंने समितियों की बैठकें निरंतर करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया अपितु प्रतिवेदनों के माध्यम से समय–समय पर कार्यपालिका को मार्गदर्शन भी दिया ।

इस अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मीडिया का भी उल्लेख करना चाहता हूँ । छत्तीसगढ़ राज्य नव गठित राज्य था और सभा की कार्यवाही को जन–जन तक पहुॅचाने की महती जिम्मेदारी मीडिया के प्रतिनिधियों के ऊपर थी । संसदीय विषयों से जुड़ी हुई प्रत्येक गतिविधि, सदन की चर्चाओं की हुबहु जानकारी देने का गुरूत्तरदायित्व उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया ।

लोकतंत्र के प्रभावी एवं सुचारू कार्यकरण में मीडिया ने जो भूमिका निभायी, वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है ।

चूंकि आज इस द्वितीय विधान सभा के अंतिम सत्र का अंतिम दिवस है, अतः इस विधान सभा की कार्यवधि में सम्पादित कार्यों का उल्लेख करना भी मैं समीचीन समझता हूँ।

द्वितीय विधान के प्रथम सत्र की प्रथम तिथि 22 दिसम्बर, 2003 से पन्द्रहवे सत्र की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2008 तक के सम्पन्न कार्यों की जानकारी से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा । इस पन्द्रहवे सत्र तक कुल 182 कार्य दिवसों में कुल 904.35 घण्टे चर्चा हुई । कुल 18356 प्रश्न में से प्राप्त तारांकित प्रष्न 11951 रहे एवं प्राप्त अतारांकित प्रश्न 6405 रहे, इनमें से ग्राह्य तारांकित प्रश्न 5195 रहे, ग्राह्य अतारांकित प्रश्न 4068 रहे और 1601 प्रश्नों पर चर्चा हुई । ध्यानाकर्षण की कुल 5785 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 1493 ग्राह्य एवं 3558 अग्राह्य रहीं । स्थगन की कुल 1465 सूचनाओं में से 334 ग्राह्य एवं 825 अग्राह्य रहीं । अविलंबनीय लोक महत्व के हर विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । नियम 139 के अंतर्गत कुल 152 सूचनाओं में से 61 ग्राह्य रहीं एवं इनमें से 24 सूचनाओं पर चर्चा हुई । अशासकीय संकल्प की कुल प्राप्त सूचनाएं 694 रहीं, जिनमें से 117 ग्राह्य रहीं और 64 में चर्चा हुई ।

इस पन्द्रहवे सत्र तक नियम 267—क के अधीन कुल 1051 प्राप्त सूचनाओं में से 641 ग्राह्य एवं 399 अग्राह्य रहीं । नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा के अंतर्गत कुल प्राप्त 38 सूचनाओं में से 16 ग्राह्य, 20 अग्राह्य, 1 वापस हुई एवं 6 सूचनाओं पर चर्चा हुई । इस सत्र तक कुल 120 विधेयक लाये गये, जिनमें से 118 विधेयक पारित हुये तथा 2 विधेयक वापस हुये (इसके अतिरिक्त एक विधेयक महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लौटाये जाने पर पुनः पारित किया गया ।) । इस सत्र तक कुल 1598 याचिकाओं की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 676 ग्राह्य, 872 अग्राह्य रहीं एवं 529 सदन में प्रस्तुत हुई तथा नियम 142 के अधीन प्राप्त 3 सूचनाओं में से 1 ग्राह्य हुई, जिस पर चर्चा हुई ।

इस अवसर पर सभा में सम्पादित कार्यों की जानकारी देते हुये मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस पन्द्रहवे सत्र में 5 कार्य दिवसों में कुल 26 घण्टे चर्चा हुई । इस सत्र में 345 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 135 रहे, इनमें से 38 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 7.5 प्रश्न का रहा । प्रति दिन इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । नियम 139 के अंतर्गत कुल 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिन पर सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में 11 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 5 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये, उनमें से 3 संकल्प स्वीकृत हुए व 1 संकल्प अस्वीकृत हुआ तथा एक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत हुआ ।

इस सत्र में कुल 77 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से अग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 30 रही तथा 47 ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में परिवर्तित की गई । शून्यकाल की 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 सूचनाएं ग्राह्य व 8 सूचनायें अग्राह्य रही । इस सत्र में कुल 10 विधेयक लाये गये और सभी 10 विधेयक पारित हुये । इस सत्र में कुल 11 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये, वहीं 11 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके अलावा सदन के महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य, अनुपूरक कार्यों का पुरस्थापन एवं पारण भी निष्पादित हुआ ।

इस सत्र में 51 छात्र—छात्रायें, 46 नागरिक एवं 11 अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षुओं ने सभा की कार्यवाही विधान सभा के सचिवालय के माध्यम से देखी।

इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपनी सद्इच्छा, सद्भावना प्रकट करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि आपका अपना राजनैतिक और सामाजिक जीवन के साथ—साथ आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय हो। आप सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें । आपके राजनैतिक जीवन में भूमिका चाहे आपकी पक्ष में हो अथवा प्रतिपक्ष में, पर उद्देश्य आपके हृदय में जनसेवा का शाश्वत रूप से बना रहे । यही मेरी इस अवसर पर आप सभी के प्रति मेरी मंगल कामना है ।

अंत में इस सत्र के समापन अवसर पर मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सामान्यतः संसदीय मर्यादाओं की परिधि में रहकर अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन कर सदन के संचालन में जो मुझे सहयोग दिया है वह

उल्लेखनीय है । इस अवसर पर मैं माननीय उपाध्यक्ष जी एवं सदन के सभापति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए मैं इस सदन की सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।

सत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका ।

इस द्वितीय विधान सभा के अंतिम सत्र के समापन अवसर पर मैं आप सभी से पुनः आव्हान करता हूं कि आइये – छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुश्ठान में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली बनाने का समवेत रूप से दृढ संकल्प लें।

जय हिन्द,   जय भारत,   जय छत्तीसगढ़

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष, श्री बद्रीधर दीवान, माननीय उपाध्यक्ष, कु. कामदा जोल्हे, सदस्य, श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए ।

19. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)

रात्रि 7.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा